HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 02 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपये (कुल 1.40 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.06.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा 02 हत्यारोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 12-02-2021 को अभियुक्तगण 1. राजू पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ व 2. गौतम पुत्र खुशीपाल निवासी ग्राम गेसूपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा रामकुमार उर्फ मोनू पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम नानपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की गला घोंटकर व धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 67/2021 धारा 302, 365, 201, 34, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.04.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 04.06.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपये (कुल 1.40 लाख रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द्र शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री शीलेष कुमार एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 672 अन्जू का विशेष योगदान रहा।